न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 7/20 तारीख 30-1-20

01. भगवतीलाल पिता सुरेशचन्द्र जाति देराश्री उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. शिवलाल पिता मांगीलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. प्रभुसिंह पिता माधुसिंह जाति दरोगा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 4/11/20

प्रार्थना पत्र भगवतीलाल पिता सुरेशचन्द्र जाति देराश्री उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा बिजौलियां कंला पटवार हल्का बिजौलियां कंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 597 पर अंकित आराजी संख्या 1617/206 रकबा 1–18 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कंला** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा बिजौलियां कंला पटवार हल्का बिजौलियां कंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 597 पर अंकित आराजी संख्या 1617/206 रकबा 1–18 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ